नाबार्ड
न्यूज़लेटर
खण्ड 20 अगस्त-सितम्बर 2009 संख्या 5-6

सूखा प्रभावित उधारकर्ताओं के लिए राहत उपाय - रासकृग्रावि बैंकों द्वारा प्रदान किए गए निवेश ऋण

रासकृग्रावि बैंकों को सूचित किया गया कि वे किसानों को सहायता हेतु निम्नलिखित उपाय करें :

1. क) उधारकर्ताओं को, ऋण की अवधि बढ़ाकर वर्तमान माँग को आगे बढ़ाने / पुनश्चरणीकरण की सुविधा प्रदान की जा सकती है. दूसरे शब्दों में, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित उधारकर्ताओं के बकाया, केवल वर्तमान माँग से संबंधित ऋण की किस्त की वसूली एक साल के लिए आगे बढ़ाने क अनुमति दी जा सकती है. इस बात को सुनिश्चित करने का ध्यान रखा जाए कि वर्तमान माँग के आगे बढ़ाने के बाद ऋण की चुकौती अवधि आस्ति की अर्जन अवधि से आगे न बढ़े. किसी भी मामले में अतिदेय किस्त को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. यह सुविधा केवल उन्हीं उधारकर्ताओं को प्रदान की जानी चाहिए जिन्हें वास्तव में हानि पहुँची है.

ख) कोई भी चक्रवर्धित ब्याज अथवा दांडिक ब्याज प्रभारित न किया जाए. यदि कोई दांडिक ब्याज प्रभारित किया जा चुका हो तो इसे वापस कर दिया जाय.

2. ऋणों को आगे बढ़ाने तथा सावधि ऋणों के पुनश्चरणीकरण की स्वीकृति देते समय आनेवारी घोषणा संबंधी शर्तें, जो 50% से कम न हो, निर्धारित प्रारूप में आनेवारी प्रमाणपत्र की प्रस्तुति और भू-राजस्व/ सरकारी बकायों की छूट / स्थगन और समय-समय पर हमारे परिपत्रों द्वारा जारी ऐसे अन्य नियमों व शर्तों का अनुपालन किया जाए.

क) वर्षा की कमी की पूर्ति हेतु जमीन के जल स्तर को रोकने के लिए कुँओं को गहरा करने, ट्यूब/बोरवेल तथा पंपसेट लगाने जैसी सहायक क्रियाकलापों में प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई शुरू करना.
ख) शुष्क भूमि पर खेती के कार्य को प्रधानता दी जाए.
ग) जल बचाने संबंधी उपकरणों के वित्तीयन और जल संरक्षण उपायों को समर्थन प्रदान किया जाए.
घ) किसानों को पशुपालन क्षेत्र एवं अन्य संबंधित क्रियाकलापों की ओर संवर्धित करके उन्हें सुरक्षा प्रदान करना जो सूखे जैसी स्थिति में अभियान के रूप में चलाया जा सकता है.
(संदर्भ सं.राबैं.आईसीडी/931/पीपीएस-20/2009-10 दिनांक 02 सितंबर 2009 परिपत्र सं.146/ आईसीडी-33/2009)

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत के उपाय - अल्पावधि (मौकृप) ऋणों का मध्यावधि ऋणों में परिवर्तन - वर्ष 2009-10 हेतु पुनर्वित्त नीति

वर्ष 2009-10 के लिए अल्पावधि (मौकृप) ऋण सीमाओं की मंजूरी हेतु क्षेग्रा बैंकों और रास बैंकों / जिमस बैंकों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड, अल्पावधि (मौकृप) ऋणों के मध्यावधि ऋणों में तथा विद्यमान मध्यावधि (परिवर्तन) ऋणों के पुनश्चरणीकरण (रीफेजमेंट) / किश्तों के पुनर्निर्धारण (रीशेड्यूलमेंट) के लिए भी लागू होंगे.

मध्यावधि (परिवर्तन)/ ऋणों के पुनश्चरणीकरण (रीफेजमेंट)/किश्तों के पुनर्निर्धारण (रीशेड्यूलमेंट) के लिए नाबार्ड द्वारा क्षेग्रा बैंकों और रास बैंकों / जिमस बैंकों को दी जाने वाली पुनर्वित्त सहायता पर ब्याज दर 5.50% प्रतिवर्ष अथवा नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसी अन्य दर के अनुसार होगी.

आनेवारी की घोषणा / आनेवारी प्रमाणपत्र का प्रस्तुत करना / राज्य सरकार द्वारा भूमि राजस्व में छूट, पुनश्चरणीकरण (रीफेजमेंट) / किश्तों के पुननिर्धारण (रीशेड्यूलमेंट) के अंतर्गत कवर की जाने वाली फसलें आदि से संबंधित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.
मूलधन और ब्याज की चुकौती में चूक की स्थिति में क्षेग्रा बैंक और रास बैंकों / जिमस बैंकों नाबार्ड को चूक बने रहने की अवधि के लिए चूक की राशि पर 9.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अदा करेंगे. दंडित ब्याज दरें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अधीन होंगी.
(संदर्भ सं.एनबी.पीसीडी(पॉलिसी)/1020/ए-10/ 2009-10 दिनांक 31 अगस्त 2009 परिपत्र सं.141ए पीसीडी-12/2009 और
सं.एनबी.पीसीडी (पॉलिसी) / 1018 ए.10/2009-10 दिनांक 31 अगस्त 2009 परिपत्र सं.141/ पीसीडी-11/ 2009)

फसलों के विपणन और मछली पालन तथा मौसमी कृषि परिचालन से भिन्न कतिपय अनुमोदित प्रयोजनों के लिए वित्त पोषण हेतु नाबार्ड अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के साथ पठित धारा 21(1)(i)(iv)(v) के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अल्पावधि ऋण सीमा का प्रावधान - वर्ष 2009-10 की नीति.

वर्ष 2009-10 के लिए स्वीकृत ऋण सीमा में, वर्ष 2008-09 हेतु स्वीकृति के एवज़ में बकाया राशि अथवा वर्ष 2008-09 से पूर्व स्वीकृत इस प्रकार की ऋण सीमा के एवज़ में बकाया राशि भी शामिल होंगी. हम यह भी सूचित करते हैं कि ब्याज दर समय-समय पर संशोधन के अधीन होगी और पिछले वर्ष की ऋण सीमा की बकाया राशि, यदि कोई हो, तो उस पर भी वर्तमान वर्ष 2009-10 के लिए उपर्युक्त ऋण सीमा पर निर्धारित वर्तमान 8% प्रतिवर्ष की ब्याज दर 01 अप्रैल 2009 से लागू होगी.

(संदर्भ सं. एनबी.पीसीडी(पॉलीसी)/1153/334(पी)/2009-10 दिनांक 23 सितम्बर 2009 परिपत्र सं.155/ पीसीडी-13 / 2009)

ग्रामीण गोदामों के लिये पूँजी निवेश सब्सिडी योजना- विभिन्न स्थलों पर एक से अधिक गोदाम बनाने के लिए पात्रता

'ग्रामीण गोदामों के लिए पूँजी निवेश सब्सिडी योजना' के परिचालनात्मक मार्गनिर्देशों में यह निर्धारित किया गया था कि योजना के अंतर्गत सब्सिडी 10,000 टन की अधिकतम क्षमता तक सीमित रहेगी. इस संबंध में विपणन और निरीक्षण विभाग, भारत सरकार ने सूचित किया है कि कोई भी प्रवर्तक विभिन्न स्थलों पर एस से अधिक गोदामों के लिए सब्सिडी हेतु दावा करने के लिए इस शर्त के आधीन पात्र होगा कि सब्सिडी का दावा प्रत्येक स्थल पर 10,000 मी.टन क्षमता से अधिक के लिए न हो. इसे नीचे और भी स्पष्ट किया जाता है :

(i) यदि कोई भी एक आवेदक विभिन्न स्थलों पर कुछ गोदाम बना रहा है, तो प्रत्येक गोदाम को एक अलग परियोजना माना जायेगा और उसे प्रत्येक गोदाम के लिए 10,000 मी.टन क्षमता निर्माण के लिए सब्सिडी दी जाएगी चाहे बैंक ने वे सभी गोदाम एक ही पत्र द्वारा मंजूर किए हो.

(ii) तथापि, यदि एक ही परिसर में एक से अधिक गोदाम स्थित हैं तो यह जाँच की जाये कि क्या इन गोदामों को अलग-अलग गट / सर्वेक्षण संख्या वाली भूमि पर बनाये जाने के प्रस्ताव है और क्या उनमें सभी अपेक्षित सुविधायें और उनके स्थान अलग-अलग हैं. यदि उनके विनिर्देश अलग-अलग हैं, तो सब्सिडी के प्रयोजन से उन्हें विभिन्न स्थलों पर परियोजनाओं के रूप में माना जायेगा. अन्यथा उन्हें केवल एक परियोजना के रूप में स्वीकार किया जायेगा और ऐसी परियोजना के लिए समग्र सब्सिडी 10,000 मी.टन तक सीमित होगी.

(संदर्भ सं.राबैं.आईसीडी/891/आरजी-4/ 2009-10 दिनांक 26 अगस्त 2009 परिपत्र सं.136/ आईसीडी-32/2009)

आरआईडीएफ फंडिंग हेतु सेंटेज प्रभारों को एक पात्र मद के रूप में शामिल करना

यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर और जहाँ राज्य सरकार ने इस संबंध में नीति बनाई है वहाँ सेंटेज प्रभारों को परियोजना लागत के भाग के रूप में शामिल किया जाए.
सेंटेज प्रभारों की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब परियोजना का निष्पादन राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियों और निगमों द्वारा ही किया जाएगा.
(सं.सं.एनबी.एसपीडी/373/ आरआईडीएफ XV (जेनरल)/ 2009-10 दिनांक 01 सितंबर 2009
परिपत्र सं.143/ एसपीडी - 02/ 2009)

नैबकान्स ने अंचल कार्यालय खोला है.

नैबकान्स द्वारा 25 सितम्बर 2009 से नई दिल्ली में अचल कार्यालय खोला गया है. श्री टी.के.हजारिका, उप महाप्रबंधक और श्रीमती रेखा चन्द्रा, सहायक महाप्रबंधक को इस अंचल कार्यालय में तैनात किया गया है.

नैबकान्स आंचलिक सैल

आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अरूणाचल प्रदेश में एक-एक अंचल सैल खोला गया है. इनमें डॉ.एम.एस.राव (सहायक महाप्रबंधक, हैदराबाद में) आंध्र प्रदेश के कार्य हेतु, श्री एस.के.नंदा (सहायक महाप्रबंधक कोलकाता में) पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य हेतु तथा श्री ए.के.पसरीचा, उप महाप्रबंधक ईटानगर में अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मेघालय के कार्य हेतु तैनात किए गए हैं.

ये सैल नई दिल्ली में खोले गए अंचल कार्यालय के अलावा हैं.

सम्पादकीय बोर्ड - एस के मित्रा, अमरेश कुमार, पी एल बेहरा,
डॉ. प्रकाश बक्शी और वी रामकृष्ण राव

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बान्द्रा-कुर्ला काम्पलैक्स, मुंबई - 400 051 के लिए बी जयरामन द्वारा सम्पादित और प्रकाशित.